आदेश सं. 44/01/2007-आरई, दिनांक 05.01.2011 का अनुबंध

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु
दिशानिर्देशों में संशोधन

क्र.सं.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों के खंड का संदर्भ	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	डीडीजी संबंधी दिशानिदेर्शो का खंड 3.0	ऐसे गांवों के लिए, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी है, वहां बायोमास, बायो इपधन, बायोगैस, मिनी हाइड्रो, सोलर आदि जैसे पारंपरिक या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ।	विद्यमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **ऐसे गांवों पर भी विचार किया जा सकता है -** **(i) जो ग्रिड से जुड़े हों लेकिन जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है ।** **(ii) जहां अविद्युतीकृत गृह समूह हों ।** **यदि किसी गांव विशेष में गांव की मांग से अधिक किसी प्रौद्योगिकी के लिए संसाधन उपलब्ध हों तो अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता निकटवर्ती ग्रिड में डाली जा सकती है । लेकिन सब्सिडी की रकम परियोजना की उस क्षमता तक सीमित रखी जाएगी, जो दूरवर्ती गावों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित हो । अतिरिक्त क्षमता की लागत और ग्रिड में आपूर्ति करने की लागत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी ।**
2.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 5.0	डीडीजी परियोजनाओं का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास होगा। परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसियां, राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (एसआरईडीएएस)/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभाग या राज्य यूटिलिटियां या अभिनिर्धारित केंद्रीय	विद्यमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **राज्य सरकारें पुरवों/गांवों के विद्युतीकरण के लिए अपने राज्य में एक से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियां तय कर सकती हैं ।**

		सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसयू) होंगे। राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी तय करेंगी ।	
3.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 10.2 (i)	डीडीजी के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गावों/पुरवों की सूची को राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी/ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभागों द्वारा राज्य की ऊर्जा यूटिलिटियों और **एमएनआरई** के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा ।	निम्नलिखित शब्दों को हटाया जाता है : **और एमएनआरई**
4.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 13.3	क्रियान्वयन एजेंसी डीडीजी के आधार से विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों/पुरवें की प्राथमिकता सूची तैयार करेगा और परामर्शदाताओं के पैनल से डीपीआर बनवाएगा ।	विद्यमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **कार्यान्वयन एजेंसियां डीपीआर स्वयं भी तैयार कर सकती हैं ।** **डीपीआर तैयार करने की लागत की वित्त व्यवस्था की जा सकती है, भले ही कुछ कारणों से डीपीआर अनुमोदित नहीं किया जाता है ।** **स्वीकृत नहीं की जाने वाली परियोजनाओं के डीपीआर की लागत की प्रतिपूर्ति, मानीटरिंग समिति के अनुमोदन से अलग-अलग मामले में अलग-अलग की जाएगी ।**
5.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 16.1(iv)	प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति तथा परियोजना विकासकर्ता को राजस्व वसूली (संग्रहीत टैरिफ के समायोजन के बाद) क्रियान्वयन एजेंसियों के सेवा प्रभारों से की जाएगी (राज्य सरकारों के लिए 8 प्रतिशत तथा सीपीएसयू के लिए 9 प्रतिशत) । **दूसरे भाग की बोली उक्त वर्णित सेवा प्रभार से अधिक नहीं हो सकती ।** केवल वही राज्य सरकारें डीडीजी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्राप्त	मोटे अक्षरों में लिखे गए अंश के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखें : **यदि यह अंतर 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसकी वित्त व्यवस्था सब्सिडी से की जाएगी ।**

		होंगी, जो परियोजना विकार्सकर्ताओं को सेवा प्रभार देने की सहमति देते हैं ।	
6.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 16.1 (ii)	डीपीआर तैयार करते समय परामर्शदाता परियोजना की क्षमता तथा परियोजना के चालू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत लोड तथा उत्पादन हेतु आवश्यक ऊर्जा का अनुमान प्रस्तुत करेंगे । लोड का परिकलन करते समय प्रत्येक आवास के लिए 2 लाइट प्वाइंट (11/18 वॉट प्रत्येक) तथा एक सॉकेट (40 वॉट) का प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है ।	विद्यमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **लेकिन, कार्यान्वयन एजेंसी के पास यह विकल्प होगा कि वह प्रत्येक घर के लिए उच्च लोड देने पर विचार कर सकती है** ।
7.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों का खंड 16.2(i)	चयनित परियोजना विकासकर्ता 12.1(क) के अनुसार कुल परियोजना लागत बैंक गारंटी के रूप में **10 प्रतिशत ठेका निष्पादन गारंटी** देंगे जो 2 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे परियोजना चालू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष और 6 महीने तक के लिए नवीकृत किया जाना है ।	संविदा कार्यनिष्पादन गारंटी मूल्य घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है ।
8.	16.2(ix) (नया खंड)	कोई उपखंड विद्यमान नहीं है ।	नये उप खंड के रूप में आरजीजीवीवाई संबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : (ix) **आरजीजीवीवाई में प्रचलित दरों के अनुसार निश्चित बीपीएल कनेक्शन प्रभार 2200/- रुपए की स्थिर दर से अदा किए जाएंगे ।**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु डीपीआर तैयार
संबंधी फार्मेट में संशोधन

1.	डीपीआर तैयार करने संबंधी फार्मेट की क्रम संख्या 6.6.8	(छ) प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की लागत (च-ग)	निम्नलिखित पंक्तियां प्रतिस्थापित की जाती हैं : (छ) प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की लागत (च-ग) (इस लागत को परियोजना लागत में तभी जोड़ा जाएगा, जब उपर्युक्त (ग) पर दर्शाई गई विद्युत आपूर्ति की लागत उपर्युक्त (च) पर दर्शाई गई राजस्व वसूली से अधिक हो, अन्यथा इसे शून्य समझा जाएगा ।)
2.	डीपीआर तैयार करने संबंधी फार्मेट का अनुबंध-।।	पैरा - 2 प्रमाणित किया जाता है कि डीडीजी के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव (गांवों)/पुरवा (पुरवों) की सूची को राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी/उन विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, जो राज्य यूटिलिटियों और नये और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से परामर्श करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं ।	एमएनईआरसी से परामर्श शब्दावली को हटाया जाता है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु
दिशानिर्देशों में संशोधन

1.	आरजीजीवी वाई के अंतर्गत डीडीजी के लिए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी दिर्शानिर्देशों के भाग- 1 का खंड 1.1	इन दिर्शानिर्देशों का प्रयोजन ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधा और आवासों/विद्युतीकरण के XI योजना स्कीम में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) के अधीन परियोजनाओं के लिए माल और सेवाओं की खरीद में अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का संकेत करना है, जिनमें आरईसी द्वारा अन्यथा सहमत सिद्धांत और प्रक्रिया शामिल नहीं है ।	विद्यमान प्रावधानों के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने खरीद संबंधी दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या अपने स्वयं के बोली दस्तावेजों ..... को अपना सकते हैं ।
2.	आरजीजीवी वाई के अंतर्गत डीडीजी के लिए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी दिर्शानिर्देशों के भाग- 1 का खंड 1.4	परियोजनाओं के लिए माल और सेवाओं की कोई भी खरीद उस स्थिति में आरईसी के आधार से वित्तपोषण की पात्र होगीी, यदि उसकी खरीद उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उपर्युक्त बोली प्रक्रिया, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के सहयोग से अपनाई गई हो जैसा कि उस राज्य द्वारा वांछित हो जो परियोजना के कार्यनिष्पादन में केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का कुल निवेश में शामिल हैं ।	विद्यमान प्रावधानों के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने खरीद संबंधी दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या अपने स्वयं के बोली दस्तावेजों ..... को अपना सकते हैं ।